

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 2206/2013

निर्णय तिथि: 16 दिसंबर, 2013

मयंक पांडे

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहित चौधरी, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रमोद सक्सेना, राज्य के लिए
अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री सुनीता गुप्ता

निर्णय

सुनीता गुप्ता, न्या.

1. यह पुलिस थाना मालवीय नगर, जिला दक्षिण, नई दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दिनांक 13.03.2013 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 100/2013 को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका है।

2. उपरोक्त प्राथमिकी को अभिखंडित करने का आधार यह है कि मामले में समझौता हो गया है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 पति-पत्नी के रूप में खुशी-खुशी रह रहे हैं। विवाह प्रमाणपत्र के साथ-साथ विवाह की तस्वीरों को अभिलेख पर रखा गया है।
3. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है और अभिलेख को भी देखा है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह किया है और इसलिए वे दोनों अब खुशी से रह रहे हैं। अभियोक्त्री शिकायत को आगे नहीं बढ़ाने के लिए सहमत हो गयी है और इस तरह न्याय के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकी को अभिखंडित कर दिया जाए। *प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य* (2007) 7 एस.सी.सी. 413 पर भरोसा किया गया है।
5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने इस आधार पर उपरोक्त प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाही को अभिखंडित करने का विरोध किया है कि अपराध अशमनीय है। *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य* (2012) 10 एस.सी.सी. 303 पर भरोसा किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही अभियोक्त्री ने याचिकाकर्ता के साथ विवाद सुलझा लिया हो फिर भी अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, प्राथमिकी को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

6. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता की संबंधित प्रस्तुतियों पर अपने विचार रखे हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. वर्तमान मामले में प्राथमिकी अभियोक्त्री के बयान पर 13.03.2013 को दर्ज की गई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह सन फार्मास्यूटिकल्स में राष्ट्रीय प्रमुख लेखापरीक्षण के पद पर कार्य कर रही थी। उन्होंने वर्ष 2005-07 में आई.एम.एम., कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया से एम.बी.ए. की थी और याचिकाकर्ता भी उसी शाखा में था। जनवरी, 2011 से उसने और याचिकाकर्ता ने फोन पर बात करना शुरू किया और एक-दूसरे से मिलना शुरू किया। इस अवधि के दौरान वे दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर कई बार एक-दूसरे से मिलने गए। याचिकाकर्ता अक्टूबर, 2011 से 13 सितंबर, 2012 तक किरायेदार के रूप में फ्लैट नंबर 11, आस्था अपार्टमेंट, सावित्री नगर, शिव मंदिर के पास रह रहा था। वह अक्सर उसके घर जाती थी और हर महीने 15 दिनों में 2 से 3 दिन वहाँ रहती थी। वे एक-दूसरे के साथ शारीरिक रूप से जुड़े हुए थे। इस अवधि के दौरान, दिसंबर, 2011 में मयंक ने उसके साथ शारीरिक रूप से जबरदस्ती करने की कोशिश की और वह नशे में भी था। उसने उसे कई बार रोका, लेकिन उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। जनवरी और फरवरी, 2012 में उसने उसके साथ वही प्रयास किया, जिसके कारण वह फरवरी, 2012 के महीने में गर्भवती हो गई। वह उसके द्वारा की गई जबरदस्ती यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हुई। इस तथ्य को जानने के बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया,

जिसके कारण मई, 2012 के महीने में 10-12 सप्ताह के बच्चे का गर्भपात हो गया। अक्टूबर, 2011 के महीने में, उसके परिवार ने विवाह के लिए सहमति दे दी, लेकिन बाद में उन्होंने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया और कभी भी उसका उससे विवाह करने का इरादा नहीं था। उसने उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रार्थना की है।

7. स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री का बयान दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने शिकायत में किए गए प्रकथनों को दोहराया था। हालाँकि, यह आगे कहा गया कि मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 18 मार्च, 2013 को जमानत दे दी गई। 20.03.2013 को दोनों परिवारों की सहमति से आर्य समाज मंदिर में उन्होंने विवाह कर ली। अब वह अपने पति के साथ खुशी से रह रही है और मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

8. आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और मामला का विचारण लंबित है। **ज्ञान सिंह (पूर्वोक्त)** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारगण के बीच हुए समझौते को देखते हुए अशमनीय अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडन करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे पर विचार किया। विभिन्न दिशा-निर्देश और ऐसे मामलों की श्रेणियां निर्धारित की गईं जिसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:

“उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति सामने आती है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: अपनी अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को अभिखंडित करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को प्रशमन करने के लिए दंड न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसकी कोई कानूनी सीमा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। दांडिक कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटान कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से अभिखंडित नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर ये गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे

विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि ऐसे अपराधों से जुड़ी दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दांडिक मामले जिसमें मुख्य रूप से सिविल पक्ष होता है, अभिखंडन के उद्देश्य से अलग-अलग आधार पर आते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षकारगण ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। इस तरह के मामलों में, उच्च न्यायालय दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और दांडिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ विस्तृत और पूरा समझौता करने के बावजूद दांडिक मामले को अभिखंडित नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दांडिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या दांडिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा

और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि दांडिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।”

9. उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि बलात्कार के अपराध को जघन्य और गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है जो प्रकृति में निजी नहीं है, लेकिन समाज पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है और इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकारगण ने विवादों को सुलझा लिया है, न्यायालय को ऐसे मामलों में प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

10. **शिम्बू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य** 2013 IX ए.डी. (एस.सी.) 109, 2013 एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वि.अनु.या. दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया था। अपील लंबित रहने के दौरान पीड़ित द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्रों को यह दिखाने के लिए अभिलेख पर रखा गया था कि उसने आरोपी के साथ मामले से समझौता कर लिया है। यह देखा गया कि पक्षकारगण के बीच किए गए समझौते को एक प्रमुख कारक के रूप में नहीं माना जा सकता

है जिसके आधार पर कम सजा दी जा सकती है। बलात्कार अशमनीय अपराध है और यह समाज के खिलाफ अपराध है और यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे पक्षकारगण पर समझौता करने और निपटान करने के लिए छोड़ा जाए। चूँकि न्यायालय को हमेशा आश्वस्त नहीं किया जा सकता है कि मामले में समझौता करने में पीड़िता द्वारा दी गई सहमति वास्तविक सहमति है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि उस पर दोषियों द्वारा दबाव डाला गया होगा या वर्षों से उसके द्वारा झेले गए आघात ने उसे समझौता करने का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया होगा। वास्तव में, इस प्रतिपादन को स्वीकार करने से पीड़िता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभियुक्त समझौता करने के लिए उस पर दबाव बनाने के लिए अपने सभी प्रभाव का उपयोग कर सकता है। इसलिए, न्याय के हित में और पीड़िता को अनावश्यक दबाव/उत्पीड़न से बचाने के लिए, बलात्कार के मामलों में पक्षकारगण के बीच हुए समझौते को न्यायालय के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के प्रावधान के तहत वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने का आधार मानना सुरक्षित नहीं होगा।

11. *अनिल कुमार और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य*
आप.वि.वा. 3216/2012 के अनुसार यह पुनः एक ऐसा मामला था जिसमें भा.दं.सं. की धारा 376/420/34 के तहत इस आधार पर संयुक्त याचिका दायर की गई थी कि दोनों पक्षकारगण ने विवाह कर ली है। हालाँकि, याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह उचित मामला नहीं है जहाँ न्यायालय

को एक विकृत व्यक्ति को बचाव करना चाहिए और उसे राहत देनी चाहिए। बलात्कार का अपराध समाज के खिलाफ अपराध है। अगर इस तरह के मामलों में प्राथमिकी अभिखंडित कर दी जाती है, तो केवल ऐसे विचारधारा वाले व्यक्तियों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए, यह एक उचित मामला नहीं है जहां न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और कार्यवाही को अभिखंडित करना चाहिए।

12. **प्रदीप कुमार (पूर्वोक्त)** पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, यह उनका कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ वि.अनु.या. दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उस मामले में, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने निवेदक के साथ इस वादे पर शारीरिक संबंध बनाए थे कि वह उससे विवाह करेगा और उनका विवाह एक मंदिर में हुई थी, लेकिन आरोपी ने इससे इनकार कर दिया और दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। हालाँकि, निवेदक का बयान दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था जिसे नामंजूर कर दिया गया था। यह देखने के लिए कि क्या भा.दं.सं. की धारा 376/406 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर

लागु होते हैं या नहीं और आवेदन को संक्षिप्त रीति से खारिज नहीं किया जा सकता था, मामले को आगे के विचार के लिए विप्रेषित किया गया गया।

13. वर्तमान मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के आरोप पर बहस की सुनवाई के समय विचारण न्यायालय के समक्ष यह आवश्यक प्रस्तुतियाँ देने की स्वतंत्रता होगी कि भा.दं.सं. की धारा 376 के प्रावधान लागु किए गए हैं या नहीं और यहाँ की गई किसी भी टिप्पणी का मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह देखना विद्वान विचारण न्यायालय का काम होगा कि भा.दं.सं. की धारा 376/406 के तहत अपराध किए गए हैं या नहीं।

14. हालाँकि, जहाँ तक याचिका को अभिखंडित करने का संबंध है, ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, यह उचित नहीं है।

13. ऐसा होने पर याचिका खारिज की जाती है।

सुनीता गुप्ता
(न्यायाधीश)

16 दिसंबर, 2013

सी.एल.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।